आदेश द्वारा श्री अजय कुमार यादव (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक, एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2020/ 21

उज्जैन, दिनांक 17/09/2020

प्रकरण अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/मा.चि./2019/82 दिनांक 05-09-2019 से जारी तकनीकी स्वीकृती एतद द्वारा निरस्त की जाकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रं./एफ-3/84/2018/10-11/16/798 दिनांक 27-02-2020 से दिये गये निर्देशो के पालन मे वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल रतलाम द्वारा उनके पत्र क्र./मा.चि/ 2020/3197 दिनांक 25-08-2020 से वनमण्डल रतलाम के परिक्षैत्र बाजना की बीट कुन्दनपुर के कक्ष क्रं. पी–83 एवं पी–85 अन्तर्गत प्रस्तावित माण्डलिया घाट तालाब हेतु 14.220 हे. वन भूमि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम द्वारा वनभूमि की उपयोगार्थ मांग के बदले समतुल्य गैर वन भूमि में 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संशोधित कर निम्नानुसार प्रेषित की है।

अ.क्र.	तहसील का नाम	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नं.	रकबा (हे. में)	वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि
1	पिपलोदा	सैलाना	कन्सेर	118/3, 118/4	14.220	7408620/-

वनमण्ड़लाधिकारी, (सा.) वनमण्ड़ल रतलाम द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राज्य शासन द्वारा अनुमोदित क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये स्थल विशेष प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु प्रसारित दिशा निर्देशों के अनुरुप शासन द्वारा निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशियल पावर्स 2012 वॉल्यूम II मे वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिन्दु क्रं. 14–बी मे निहित एवं प्रदत्त अधिकारो का उपयोग करते हुए एवं म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र./एफ 3-2/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 30 जनवरी 2013 से वानिकी कार्यो की तकनीकी स्वीकृती हेतु प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत् वनमण्ड़लाधिकारी रतलाम द्वारा प्रेषित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रु. 7408620/- (रु. चौहत्तर लाख आठ हजार छह सौ बीस मात्र) की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी. /3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक–एफ–03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।

4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।

5) सामग्री क्रय करते समय भण्डार नियमो का पालन किया जावे। जो सामग्री कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावे।

6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित् करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13–11–2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System मे समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जावे। वास्तविक व्यय अथवा स्वीकृत राशि, जो भी कम हो, को मान्य किया जावेगा।

21) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

22) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(अजय कुमार यादव)
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2020/ 4877 उज्जैन, दिनांक 17/9/2020

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्ड़लाधिकारी (सा.) वनमण्डल रतलाम की ओर उनके क्र./मा.चि/ 2020/3197 दिनांक 25-08-2020 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(अजय कुमार यादव)
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन
वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन